अपने प्रॉपर्टी टैक्स का खुद करें निर्धारण

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

अब अपने प्रापर्टी टैक्स का निर्धारण स्वयं करें और उसे ऑन लाइन दाखिल करें। आम आदमी विभिन्न बैंकों के माध्यम से प्रापर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। नगर विकास व आवास विभाग ने प्रापर्टी टैक्स में सेल्फ एसेसमेंट सिस्टम की पहल की है।

नई व्यवस्था से प्रापर्टी टैक्स की गणना और संग्रहण में पारदर्शिता आएगी। उनके पास टैक्स जमा करने के कई विकल्प भी होंगे। इसमें स्टेट बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं द्वारा ऑन लाइन के अलावा वे नगर सेवा केन्द्र में भी इसे जमा कर सकेंगे। यह स्थानीय निकायों की क्षमता अभिवृद्धि और बेहतर सुविधाओं के लिए डिजाइन किया गया है। विभाग के सचिव डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि इस पहल को ई-भारत शिखर सम्मेलन 2013 में 'सबसे अभिनव आईसीटी कार्यान्वयन' के तहत विजेता घोषित किया गया है। यह शिखर सम्मेलन सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और एपीटीएस के सहयोग से हैदराबाद इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर में 23 जुलाई को आयोजित था।